

में कोई गवाह नहीं थे, मैंने सजा कर दी है और जिन केसों में गवाह थे उ  
केसों से मैंने बरी कर दिया है।

4- यह कि पीठासीन अधिकारी ने मुझसे यह भी कहा कि तुम अच्छी हैसियत वाले  
हो तो जो मैं कहता जाऊ वह तुम करते जाना अन्यथा सजा के लिए तैयार रहना  
और पता लगा लों। मैंने जब से झॉसी में चार्ज लिया है जिन केसों में एक भी  
गवाही नहीं है उनमें मैंने सजा की है, और जिनमें गवाह आया है उन केसों में  
मैंने बरी किया है।

5- यह कि मुझे पीठासीन अधिकारी श्री विमल प्रकाश आर्य से न्याय मिलने की  
आशा नहीं है मैं उनके स्वार्थों की पूर्ति नहीं कर सकता हूँ। उपरोक्त प्रकरण को  
न्यायहित में किसी अन्य न्यायालय में अन्तरित करना न्यायहित में आवश्यक है।

प्रार्थना

अतः न्यायालय श्रीमान जी से न्यायहित में प्रार्थना है कि

अपर सत्र न्यायाधीश विमल प्रकाश आर्य (एफ0टी0सी0- 2) के न्यायालय में  
दृ. अख0टी0-11/2017 सरनाम न्याय जलबद्ध अर्पण ना0के0 12-11-2021  
लम्बित अ0स0-701/2015 धारा- 307 भा0द0स0 थाना नबाबाद को किसी अन्य  
न्यायालय में न्यायहित में अन्तरित करने की कृपा करें।

दिनांक- 10.11.2021

प्रार्थी

महेन्द्र कुमार

Copy of order forwarded to.....  
for information & Necessary Action.



8/52

1/22

महेन्द्र कुमार वर्मा उर्फ रिकू पुत्र रमेश चन्द्र वर्मा  
निवासी- ओमशान्ति नगर, थाना कोतवाली झॉसी  
Sadar Munsarim Sessions Court  
Sessions Court

ज्यायालय श्रीमान विशेष न्यायाधीश (F.T.C. II) महोदय, दौसा  
 सन, 2021

सरकार का नाम अमान अहमद  
 चारा- 307, 504, 506, 323, 112  
 थाना- रक्षसा  
 जिला- दौसा  
 मुद्रांक- 169/17

श्रीमान जी,  
 बिनमू निवेदन है कि अपरोक्त मुकदमे में प्राप्ति मुकदमे में साक्षी हैं पूर्व नियत तिथि पर प्राप्ति/साक्षी दारा सिंह जी को कोरोना का लोका लगा था जिस कारण से प्राप्ति को तब पुनः आ गया जिस कारण प्राप्ति/साक्षी न्यायालय श्रीमान जी के समक्ष साक्ष्य देने नहीं आ पाया जिस पर श्रीमान जी द्वारा प्राप्ति/साक्षी के अनजानी वारंट कर दिये प्राप्ति को न्यायालय में अर्जित है प्राप्ति/साक्षी में बाधवृत्त का कोई प्रमाण नहीं है।

अतः न्यायालय श्रीमान जी से बिनमू निवेदन है कि प्राप्ति/साक्षी दारा सिंह के अनजानी वारंट निरस्त कर अन्य कोई विकल्प उदान करने की कृपा करें।

दिनांक - 17.08.21

प्राप्ति  
 दारा सिंह पुत्र श्री बहापत सिंह  
 निवासी पुनापलीवना थाना रक्षसा  
 जिला दौसा 30501

17.08.2021  
 साक्षी उपस्थित नहीं है जो साक्षी के अपने अधिवक्ता का ब्याजवत्ता वाकिफ कर है जो तब जज के हो साक्षी के 23 अखट्टे दिया है साक्षी का अधिवक्ता निरस्त किया जा रहा है।

बहापत सिंह  
 17.08.2021

अरवि कथिवक्ता  
 (10 वर्षों के अनुभव)  
 मोबा. नं- 9415510210

1/23

8/52

FORM NO. 45

46B

BILL ATTENDANCE BEFORE OFFICER INCHARGE  
POLICE STATION OR COURT

See [Section 436, 437, 438 (3) and 411]

10

Court of Special Judge F.T.C. D. Thakur  
of 2017  
State of U.P. Versus Aman Singh etc.  
U/s 307, 323, 504, 506, I.P.  
P/S Raksha  
Dist. Thanesi

Re

I Name Dora Singh S/o Brahdaban Singh  
R/o Village Piradikeda Raksha  
P/S Raksha  
Dist. Thanesi

7

having been arrested or detained without  
warrant by the officer Incharge of Raksha Police Station  
for having been brought before the Court of Sp. Judge F.T.C. D. Thakur Charged  
with offence of 307, 323, 504, 506, I.P. Required to give security for my  
attendance before such officer of court on commission the I shall attend such office of  
court on everyday on which and investigation or trails is help with regard to such charge  
and in case of making default here in, I bind myself to forfeit to U.P. Government the sum  
of rupees. 10,000/-

HIST. 8

300

58

6

This Dated 17 Day of Oct 2017

20

वारासिंह  
Signature

I Know Dora Singh he has signed/put his L.T.I. before me

Advocate

खर मुख  
अधिवक्ता  
कोड नं० 171  
5739789  
9415502319

58  
208  
200

अपर सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0) महोदय, झाँसी

प्रार्थना पत्र संख्या—  
सरकार बनाम

सन, 2021  
अमान आदि  
धारा— 323, 307, 504, भा0द0स0  
थाना— रक्सां जनपद झाँसी  
मु0अ0स0—253 / 2016  
सत्र परीक्षण संख्या—169 / 2017

विषय :—माननीय महोदय द्वारा निर्गत आदेश नोटिस दिनांकित 03.09.2021 जो  
सत्र परीक्षण संख्या 169 / 2017 धारा—323, 307, 504, ता0हि0 मु0 अ0 स0  
253 / 2016 थाना रक्सा में प्रेषित


महोदय,

निवेदन है कि सत्र परीक्षण संख्या—169 / 2017 राज्य बनाम अमान आदि में आपके द्वारा दिनांक—03.09.2021 को एक नोटिस इस आशय का प्रेषित किया गया है कि मेरे द्वारा बिना वकालतनामा के साक्षी दारा सिंह का जमानतीय वारण्ट निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है इस सम्बन्ध में माननीय महोदय से अनुरोध है कि मेरे द्वारा साक्षी दारा सिंह के फोटो व हस्ताक्षर को प्रमाणित किया गया है वारण्ट रिकाल का प्रार्थना पत्र साक्षी दारा सिंह की ओर से ही प्रस्तुत किया गया था अगर मेरे द्वारा किये गये उक्त कार्य से श्रीमान जी के सम्मान में कोई कमी आयी हो तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ।

अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि दिनांक—03.09.2021 को उक्त सम्बन्ध में जारी नोटिस वापिस लेने की कृपा करें।

दिनांक—18.09.2021

भवदीय

  
(चन्द्रशेखर शुक्ला)

एडवोकेट

सी0जे0एम0कोर्ट कम्पाउण्ड झाँसी

8/55

डा. चन्द्र एवं सत्र न्यायाधीश महोदया,  
झोंसी

डा. चन्द्र न्यायाधीश श्री विमल प्रकाश आर्या द्वारा उत्पीड़न किये जाने के  
सम्बन्ध में ।

निवेदन है कि आज दिनांक-01.11.2021 को सरकार बनाम डालचन्द्र  
307 मा0द0वि0 थाना नवावाद जनपद झोंसी अ0सं0-701/2015 की  
की तिथि में नियत है प्रातः 10:00 बजे से प्रकरण से सम्बन्धित दोनों  
न्यायालय में खड़े हुये है पत्रावली को पीठासीन अधिकारी श्री विमल  
आर्या अपने विश्राम कक्ष में रखे हुये है मेरे द्वारा कुछ दिन पूर्व अन्य  
अधिवक्ताओं के साथ श्री विमल प्रकाश आर्या की शिकायत माननीय उच्च न्यायालय  
के प्रशासनिक न्यायमूर्ति एवं महोदया से की थी जिससे श्री विमल प्रकाश आर्या  
मुझसे अत्यधिक नाराज है और द्वेष भावना पूर्वक कार्यवाही कर रहे है मुझे यह भी  
जानकारी हुयी है कि वह प्रकरण से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1- डालचन्द्र 2- महेन्द्र  
उपस्थित है और न्यायालय के वाहर खड़े है वह जानबूझकर मेरे एवं अभियुक्तगणों  
के विरुद्ध उत्पीड़नात्मक कार्यवाही करना चाहते है।

अतः माननीय महोदया से प्रार्थना है कि उचित कार्यवाही  
करने की कृपा करें।

दिनांक-01.11.2021

Summon the  
Deoast immediately  
from the court concerned

1/11/21

प्रतिलिपि A.O.J./F.T.C.  
(I.P.F.C.)

सूचनाार्थ एवं आंतरिक अनुपालन  
हेतु प्रेषित ।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी  
न्यायालय, झोंसी  
01/11/21

8/56

1/26

भवदीय

01/11/2021

(चन्द्रशेखर शुक्ला)  
अधिवक्ता

प्रार्थीगण

1-डालचन्द्र  
2- महेन्द्र

महोदय एवं सत्र न्यायाधीश महोदय,

झांसी

सत्र न्यायाधीश (एफ०टी०सी० द्वितीय) श्री विमल प्रकाश आर्य द्वारा प्रतिषोध की  
विधि विरुद्ध पत्रावली तैयार कर अपमानित करने के उद्देश्य से कार्यवाही करने के  
सम्बन्ध में :-

विनम्र निवेदन है कि मेरे द्वारा पूर्व में श्री विमल प्रकाश आर्य की शिकायत महोदय से और माननीय उच्च न्यायालय में की थी जिससे रूष्ट होकर प्रतिषोध की भावना से उनके द्वारा एक पत्रावली तैयार की गयी है जिसमें न तो मुकदमा का विवरण अंकित है न ही धारा एवं धाना अंकित है और मुझे अभियुक्त बनाकर दिनांक-30.11.2021 को एक सम्मन जारी किया गया है जिसमें दिनांक-24.12.2021 तिथि नियत की गयी है यह सम्मन मेरे सम्मान एवं प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिये भेजा गया है मेरे विरुद्ध किसी भी धाने का कोई मुकदमा उनके न्यायालय में लम्बित नहीं है मुझे विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि वह मेरे विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी कर जेल भेजना चाहते हैं जैसा कि उन्होंने पूर्व में धमकी दी थी जिसकी मैं शिकायत कर चुका हूँ मैं पहली बार ऐसा सम्मन देख रहा हूँ जिसमें मुकदमे का विवरण अंकित नहीं है इससे पूरी तरह स्पष्ट है कि श्री आर्य योजनाबद्ध तरीके से कोई गम्भीर षड़यंत्र मेरे विरुद्ध कर रहे हैं सम्मन की छाया प्रति साथ में संलग्न है ।

अतः महोदय से प्रार्थना है कि उक्त पत्रावली का संज्ञान लेकर एवं पत्रावली मंगाकर कार्यवाही करने की कृपा करें अन्यथा वह अपने षड़यंत्र में सफल हो जायेंगे ।

दिनांक-02.12.2021

भवदीय

Chief Administrative Officer  
District Judges Court  
JHANSI

(चन्द्रशेखर शुक्ला)  
02/12/2021

सी०जे०एम० कोर्ट कम्पाऊड झांसी

8/57

1/27




सत्यमेव जयते

# INDIA NON JUDICIAL Government of Uttar Pradesh

## e-Stamp

Certificate No.	: IN-UP55253757537409T
Certificate Issued Date	: 03-Dec-2021 01:42 PM
Account Reference	: NEWIMPACC (SV)/ up14180504/ JHANSI SADAR/ UP-JHS
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UPUP1418050400652976114801T
Purchased by	: CHANDRASHEKHAR SHUKLA SO LT K B SHUKLA
Description of Document	: Article 4 Affidavit
Property Description	: Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:
First Party	: CHANDRASHEKHAR SHUKLA SO LT K B SHUKLA
Second Party	: Not Applicable
Stamp Duty Paid By	: CHANDRASHEKHAR SHUKLA SO LT K B SHUKLA
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 10 (Ten only)



Please write or type below this line.

**समक्ष :- माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय,**

**उच्च न्यायालय प्रयागराज**

**(इलाहाबाद)**

**द्वारा माननीय जनपद एवं सत्र न्यायाधीश महोदय,**

**झाँसी**

**अपने मित्र मिनजानिव चन्द्रशेखर शुकला एडवोकेट पुत्र स्व० श्री के०बी० शुकला निवासी  
1082 नन्दे होटल के पीछे पुरानी तहसील सिविल लाईन थाना नवावाद जिला झाँसी**

*(Signature)*

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at [www.shikhestamp.com](http://www.shikhestamp.com) or using e-Stamp Mobile App. Any discrepancy in the details of this Certificate and its available on the website / Mobile App renders it invalid.

2. The only authenticating the legitimacy is on the words of the certificate.

3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

110 8150

— अपर सत्र न्यायाधीश एफ0टी0सी0 द्वितीय श्री विमल आर्या के विरुद्ध जांच  
रूपे एव अविलम्ब उनके न्यायालय से दाण्डिक वाद अन्तरित करने के सम्बन्ध में ।

01— यह कि मैं शपथकर्ता शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि शपथकर्ता उपरोक्त पते का निवासी है।

02— यह कि मैं शपथकर्ता शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि जनपद झॉसी में जब से श्री विमल आर्या जी ने कार्यभार ग्रहण किया है उनका अधिवक्ताओं के प्रति दुर्व्यहार दिन प्रति दिन बढ़ता चला जा रहा है अधिवक्ताओं एवं वादकारियों को सांयः काल 06:00 बजे से 06:30 बजे तक अनावश्यक रूप से खड़ा रखते है हत्या के मामले में जिस कर्मचारी द्वारा केवल पोस्टमार्टम के लिये शव को ले जाया जाता है उसको भी साक्ष्य के लिये न्यायालय में बुलाया जाता है और अनावश्यक रूप से परेशान किया जाता है।

03— यह कि मैं शपथकर्ता शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि न्यायिक प्रक्रिया में ऐसा नहीं होता है अधिवक्ताओं एवं मुकदमें के वादियों को नोटिस दिया जाता है न्यायालय अवमानना अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने की धमकी दी जाती है इनके झॉसी में चर्चित महिलाओं एवं अन्य समाज विरोधी व्यक्तियों से सम्बन्ध है यह अपने पारिवारिक वाद के कारण स्वस्थ मस्तिष्क से न्यायिक कार्यों का निर्वाहन नहीं करते है पूर्व के पद स्थापना के स्थान पर इनकी कई शिकायतें हुयी है और ये कई विवादों से घिरे रहे श्री विमल आर्या के विरुद्ध पूर्व में अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष एवं अन्य अधिवक्ताओं द्वारा माननीय पूर्व प्रशासनिक न्यायमूर्ति से शिकायत की गई थी कोई कार्यवाही न होने के फलस्वरूप इनका मनोबल अत्यधिक बड़ा हुआ है।

04— यह कि मैं शपथकर्ता शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि मेरे द्वारा पूर्व में श्री विमल प्रकाश आर्य की शिकायत महोदया से और माननीय उच्च न्यायालय में की थी जिससे रुष्ट होकर प्रतिषेध की भावना से उनके द्वारा एक पत्रावली तैयार की गयी है जिसमें नए नए मुकदमा का विवरण अकिंत है न ही धारा एवं थाना अकिंत है और मुझे अभियुक्त बनाकर दिनांक-30.11.2021 को एक सम्मन जारी किया गया है जिसमें दिनांक-24.12.2021 तिथि नियत की गयी है यह सम्मन मेरे सम्मान एवं प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिये भेजा गया है मेरे विरुद्ध किसी भी थाने का कोई मुकदमा उनके न्यायालय में लम्बित नहीं है मुझे विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि वह मेरे विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी कर जेल भेजना चाहते है जैसा कि उन्होंने पूर्व में धमकी दी थी जिसकी मैं शिकायत कर चुका हूँ मैं पहली बार ऐसा सम्मन देख रहा हूँ जिसमें मुकदमें का विवरण अकिंत नहीं है इससे पूरी तरह स्पष्ट है कि श्री आर्य योजनाबद्ध तरीके से कोई गम्भीर

चुड़चुड़ मेरे विरुद्ध कर रहे है

05— यह कि मैं शपथकर्ता शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि महोदय के संज्ञान में यह भी आवश्यक है कि एक प्रकरण सरकार बनाम बाँबी अहिरवार धारा-302, 504 एवं 3/25 अन्तर् अधिनियम जिसका सत्र परीक्षण संख्या-138,139/2012 में दिनांक-10.08.2021 को अभियुक्त के गिरफ्तारी वारंट कर दिया गया था मात्र एक तिथि के गिरफ्तारी अधिपत्र पर अभियुक्त को अभिरक्षा में लेकर जेल भेजा गया और कई दिन



बाद उसकी जमानत स्वीकार हुयी जमानत आदेश अन्य मामलों से अलग था महोदय संज्ञान में यह भी लाना है कि दूसरा प्रकरण सरकार बनाम धीरेन्द्र श्रीवास धारा-147,148,149,307 ता0हि0 थाना मऊरानीपुर जिला झाँसी जिसका सत्र परीक्षण संख्या-142/2008 में दिनोंक-30.09.2021 को बिना जमानतीय गिरफ्तारी वारण्ट जारी किया गया जिसमें 22.10.2021 व 09.11.2021 की तिथि नियत की गयी और 09.11.2021 को अभियुक्त अयोध्या का बिना जमानतीय गिरफ्तारी अधिपत्र वापस लिया गया यहाँ यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि एक तिथि के वारण्ट के अभियुक्त को जेल में रखने के बाद जमानत पर अवमुक्त किया जाता है और दूसरे अभियुक्त अयोध्या को तीन तिथियो का वारण्ट रिकॉल किया गया उनके द्वारा न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जा रहा है।

06-यह कि मैं शपथकर्ता शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि श्री विमल आर्या भ्रष्टाचार में आकण्ठ लिप्त रहते है एवं जनपद में इनके कई दलाल सक्रिय है मन माफिक पैसा न मिलने पर पक्षद्रोही साक्ष्य में भी कई प्रकरणो से सजायाव किया गया है अधिवक्ताओ से दुव्यवहार व अवमाननीय व्यवहार एवं अससंगीय भाषा का प्रयोग करने पर कियी समय अधिवक्ताओं और श्री विमल आर्या के मध्य गम्भीर विवाद की स्थिति बन सकती है।

07-यह कि मैं शपथकर्ता शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि माननीय महोदय से प्रार्थना है कि न्यायहित को द्रष्टिगत रखते हुये और अधिवक्ताओ एवं श्री विमल आर्या के मध्य कोई विवाद न हो अविलम्ब उनके न्यायालय से दाण्डिक मामले को अन्य न्यायालय में अन्तरिक करने और इन्हे इस जनपद से बाहर स्थानान्तरण करने के उपरान्त उनके विरुद्ध जांच कराने की कृपा करें उनके झाँसी में पदस्त रहते हुये वह जांच को प्रभावित करेगें और अधिवक्ताओ का उत्पीड़न बड़ा देगें।

### तस्दीक

यह कि मैं शपथकर्ता वहल्फ वयान करता हूँ कि शपथपत्र की धारा-1 लगायत 7 भंरे निजी ज्ञान से सब सच व सही है इसमें कुछ भी वात छिपायी नही गयी है। यी तस्दीक आज दिनोंक-03.12.2021 को आहता कचहरी झाँसी की गई।

प्रतिनियि :- माननीय जनपद एवं सत्र न्यायाधीश महोदय को

शपथकर्ता

Serial No. 8529/21  
 Certified that the foregoing statement  
 sworn before me this day  
 by Shri. [Signature]  
 to whom the [Signature] and who  
 been read [Signature]  
 is identified [Signature]  
 Received the [Signature]

[Signature]  
 03/12/2021

Judge (Senior) Pimpri  
 Notary Advocate  
 Meeraj Jhansi District

03-12-21



8/60



GOVT.

Notary  
 Court

### अभियुक्त व्यक्ति का सम्पन्न

नाम ADJ ETC. (P) (Jharkhand)  
...  
...


दि १७

अभिचार्य है अतः अपराध चलाया गया उपरोक्त के सम्पन्न  
... को सुनकर १०  
...

### अभियुक्त व्यक्ति का सम्पन्न

नाम ...  
...  
...

अभिचार्य है अतः अपराध चलाया गया उपरोक्त के  
दिनांक 24/3/21  
...



न्यायालय श्रीमान जनपद एवं सत्र न्यायाधीश महोदय झॉंसी  
 अन्तरण प्रा०प्रा०स०— सन 2021  
 चन्द्रशेखर शुक्ला एडवोकेट सी०जे०एम० कोर्ट कम्पाउण्ड झॉंसी.  
 बनाम  
 सरकार उ०प्रा०

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा - 408 द०प्रा०स०  
 धारा— अज्ञात  
 थाना— अज्ञात  
 जिला झॉंसी  
 मु०न०— अज्ञात

महोदय,



विनम्र प्रार्थना है कि अपर सत्र न्यायाधीश एफ०टी०सी० कक्ष स०- 14 इ द्वारा एक सम्मन बतौर अभियुक्त मुझे भेजा गया है जिसमें न तो मुकदमा नम्बर है न धारा व न ही थाना अंकित है। जिसके सम्बन्ध में अन्तरण प्रार्थना पत्र निम्न आ प्रस्तुत है :-

- 1- यहकि पीठासीन अधिकारी श्री विमल प्रकाश आर्य के विरुद्ध मेरे द्वारा कई शिक की गयी है।
- 2- यहकि कुछ मुकद्दमें में मेरे पक्षकारो द्वारा भी माननीय उच्च न्यायालय और मह को शिकायते की गयी है।
- 3- यहकि अन्तरण प्रार्थनापत्रो में पक्षकारो की ओर से मै स्वयं अधिवक्ता हूँ।
- 4- यहकि पीठासीन अधिकारी श्री विमल प्रकाश आर्य मुझसे व्यक्तिगत द्वेष मानते है
- 5- यहकि श्री विमल प्रकाश आर्य द्वारा यह कहा गया है कि प्रकरण में मैने जानबूद दिनांक 24.12.2021 की तिथि नियत की है उस तिथि को मै इस प्रकरण में व जारी करूंगा। क्योकि दिनांक 24.12.2021 के पश्चात शीत कालीन अवकाश हो रहा
- 6- यहकि व्यक्तिगत द्वेष के कारण उपरोक्त सम्मन जारी किया गया है ऐसा सम्मन है जिसमें धारा, थाना व प्रकरण का अन्य विवरण अंकित नही है।
- 7- यहकि उपरोक्त प्रकरण न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एफ०टी०सी० कक्ष स०- से अन्तरित नही किया जाता है तो वह मुझे अपूर्णनीय क्षति पहुँचायेगें।

**प्रार्थना**

अतः महोदया,जी से न्यायहित में प्रार्थना है कि उपरोक्त प्र जिसमें सम्मन की छायाप्रति-साथ में संलग्न है को किसी अन्य न्यायालय में अ करने की कृपा करें।

दिनांक-16.12.2021

54

Copy or order forwarded to...  
 for information & Necessary Action

संबास - छयाप्रति सम्मन

Sadar Mansarim Sessions Clerk

भवदीय

(चन्द्रशेखर शुक्ला)

एडवोकेट

कोर्ट कम्पाउण्ड झॉंसी

8/62

1/32

18.12.2021  
 18.12.2021

17/12/21


INDIA NON JUDICIAL  
Government of Uttar Pradesh



e-Stamp

न्यायमेव जयते

Certificate No. : IN-UP69497482569025T  
Certificate Issued Date : 16-Dec-2021 11:48 AM  
Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14156104/ JHANSI SADAR/ UP-JHS  
Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1415610429319457438585T  
Purchased by : CHANDRASHEKHAR SHUKLA SO LATE K B SHUKLA  
Description of Document : Article 4 Affidavit  
Property Description : Not Applicable  
Consideration Price (Rs.) :  
First Party : CHANDRASHEKHAR SHUKLA SO LATE K B SHUKLA  
Second Party : NA  
Stamp Duty Paid By : CHANDRASHEKHAR SHUKLA SO LATE K B SHUKLA  
Stamp Duty Amount(Rs.) : 10  
(Ten only)



-----Please write or type below this line-----

न्यायालय श्रीमान जनपद एवं सत्र न्यायाधीश महोदय झॉसी  
अन्तरण श0प0स0- सन 2021  
चन्द्रशेखर शुक्ला एडवोकेट सी0जे0एम0 कोर्ट कम्पाउण्ड झॉसी  
बनाम

सरकार उ0प्र0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा - 408 द0प्र0स0

धारा- अज्ञात

थाना- अज्ञात

जिला झॉसी

मु0न0- अज्ञात

शपथपत्र मिनजानिव चन्द्रशेखर शुक्ला एडवोकेट सी0 जे0 एम0 कोर्ट कम्पाउण्ड झॉसी

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at [www.indiastamp.com](http://www.indiastamp.com) or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding Corporation of India. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App certificate is invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

निम्नलिखित है कि -

*(Handwritten signature)*

8/63

1/22


- 1- यहकि शपथकर्ता शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि पीठासीन अधिकारी श्री विमल प्रकाश आर्य के विरुद्ध मेरे द्वारा कई शिकायते की गयी है।
- 2- यहकि शपथकर्ता शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि कुछ मुकद्दमों में मेरे पक्षकारों द्वारा भी माननीय उच्च न्यायालय और महोदय को शिकायते की गयी है।
- 3- यहकि शपथकर्ता शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि अन्तरण प्रार्थना पत्रों में पक्षकारों की ओर से मैं शपथकर्ता स्वयं अधिवक्ता हूँ।
- 4- यहकि शपथकर्ता शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि पीठासीन अधिकारी श्री विमल प्रकाश आर्य मुझे शपथकर्ता से व्यक्तिगत द्वेष मानते हैं।
- 5- यहकि शपथकर्ता शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि श्री विमल प्रकाश आर्य द्वारा यह कहा गया है कि प्रकरण में मैंने जानबूझकर दिनांक 24.12.2021 की तिथि नियत की है उस तिथि को मैं इस प्रकरण में वारण्ट जारी करूँगा। क्योंकि दिनांक 24.12.2021 के पश्चात शीत कालीन अवकाश हो रहा है।
- 6- यहकि शपथकर्ता शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि व्यक्तिगत द्वेष के कारण उपरोक्त सम्मन जारी किया गया है ऐसा पहले सम्मन है जिसमें धारा, थाना व प्रकरण का अन्य विवरण अंकित नहीं है।

यहकि शपथकर्ता शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि उपरोक्त प्रकरण न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एफ0टी0सी0 कक्ष स0- 14 से अन्तरित नहीं किया जाता है तो वह मुझे अपूर्णनीय क्षति पहुँचायेंगे।

—: तस्दीक :-


यहकि मैं शपथकर्ता व हल्फ ब्यान करता हूँ कि शपथ पत्र की धारा-1 लगायत 7 सब सच व सही है इसमें कुछ भी बात छिपायी नहीं गयी है। यह तस्दीक आज दिनांक- **16.12.2021** को कचहरी जॉसी की गई।

शपथकर्ता

  
16/12/2021

क्र०सं०..... (90) ..... दिनांक 16.12.2021  
 शपथ पत्र मिनजागिद श्री. ~~राजेश्वर शुक्ला~~ S/O ~~रा० के.बी. शुक्ला~~  
 निवासी... ~~R.T.M. Colony~~ ~~Compoohd~~  
 थाना... ~~आवाड़~~ ..... जिला... ~~आवाड़~~  
 पेशवा... ~~राजेश्वर शुक्ला~~ (एडवोकेट)

शपथ आयुक्त  
 पञ्जाब 2021, जॉसी  
 16/12/2021



अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / ( F. T. C. ) झांसी ।

चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित)

चौदहवीं वित्त आयोग प्रकीर्ण अपील सं० 429/ 2021 राज्य बनाम चन्द्रशेखर शुक्ला एडवोकेट के विरुद्ध  
सम्पन्न के सम्बन्ध में आख्या प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में ।

सादर

सादर ससम्मान निवेदन करना है कि प्रार्थिया ने जो सम्पन्न जारी किया है चन्द्रशेखर शुक्ला  
एडवोकेट के विरुद्ध उसमें कोई सफेदा नहीं लगा है और उक्त जारी किये गये सम्पन्न में मुकदमा न० और  
धारा एवं थाने का उल्लेख किया गया है ।

उक्त सम्पन्न को नवाबाद पैरोकार को दिनांक 01. 12. 2021 प्राप्त कराया गया जिसका विवरण सम्पन्न  
जारी करने वाले रजिस्टर में अंकित भी है ।

दूसरा सम्पन्न जो सफेदा लगा हुआ है उसकी प्रार्थिया को कोई जानकारी नहीं है और न ही ऐसा कोई सम्पन्न  
कार्यालय से जारी किया गया । जहां सम्पन्न पर सफेदा लगा हुआ है वहां कार्यालय लिपिक द्वारा prepared  
and check by me लिखा जाता है ।

प्रार्थिया की उपस्थिति में न तो चन्द्रशेखर शुक्ला एडवोकेट ने ना ही उनके द्वारा किसी ने कार्यालय में आकर  
कोई पत्रावली देखी न ही कोई फोटो खींची । अगर प्रार्थिया की अनुपस्थिति में किसी ने कार्यालय में आकर  
फोटो खींची हो तो इसका प्रार्थिया को संज्ञान नहीं है ।

प्रार्थिया द्वारा जो भी सही तथ्य एवं जानकारी थी वह सारे तथ्य एवं जानकारी श्रीमान जी को बता दी गयी है  
कोई भी तथ्य एवं जानकारी छिपायी नहीं गयी । आख्या श्रीमान जी की सेवा में सादर प्रेषित है ।

दिनांक- 20. 12. 2021

प्रार्थिया

*Chunuma*  
( खुशनुमा )

( सहायक लिपिक )

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / ( F. T. C. ) झांसी ।

( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित )

# निःशुल्क प्रतिलिपि

प्रपत्र सं० 9, भाग IX

## सामान्य सूची (अध्याय 4, नियम 4)

न्यायालय: ADJ/ETC/144/F.C.

दिनांक: 26/3/22 वर्ष 2001 ई०

राज्य सरकार बनाम: 1/3/2022

व्यवसाय: 4/5 174/10 निवासी: 77/186, 11<sup>वा</sup> थाना

निर्णय का दिनांक

अध्याय 12, नियम 1 के अनुसार पत्रावली का प्रकार

स्थान  
थाना  
जाति  
जिला

1A  
69  
24-03

पत्र की क्रम-संख्या	पत्रजात का प्रकार	नत्थी (क) या नत्थी (ख)	सम्मिलित किये गये पत्रजात के पत्रों की सं०	न्यायालय शुल्क		पत्रजात को सम्मिलित किये जाने का दिनांक	अभ्युक्ति
				टिकटों (स्टाम्पों) की संख्या	मूल्य		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सूत्र-ए	A	1	-	-	-	23-12-21
2	सूत्र-ए	A	1	-	-	-	0
3	सूत्र-ए	A	1	-	-	-	0
4	अपील का पत्र	B	1	-	-	-	24-12-21
5	नोटिस जारी करने का पत्र	B	1	-	-	-	7-1-21
6	नोटिस जारी करने का पत्र	B	2	-	-	-	11-1-22
7	नोटिस जारी करने का पत्र	B	1	-	-	-	12-1-22
8	पत्र धारणी अधिकारी को जारी करने का पत्र	B	1	-	-	-	20-01-22
9	जांच पत्र (पं० 3/2022)	B	2	-	-	-	24-3-22
10	पत्र (पं० 4/2022)	B	1	-	-	-	

26/3/22  
25/3/22  
26/3/22

न्यायालय  
जिला एवं सत्र  
न्यायाधीश, झाँसी  
(उत्तर प्रदेश)

सत्य प्रतिलिपि  
26/3/22  
प्रधान प्रतिलिपिक  
जिला एवं सत्र न्यायालय, झाँसी

1/39 8/69

द्वारा - 174, 120, 177, 186 1D  
कि. नं. नि. नं. - 429/2021

69  
241203-2

48

### अभियुक्त व्यक्ति का सम्मन

न्यायालय ADJ FTC 14th F.C. Jhansi  
नाम - पण्डितेश्वर शुक्ला (एवमोर)  
सोनी एम. कंपाऊंड (प्रा.)  
चूंकि आपकी उपस्थिति वास्ते अभियुक्त .....

69  
26/11/21

..... देने हेतु  
अनिवार्य है अतः आप स्वयं न्यायालय उपरोक्त के समक्ष  
दिनांक 24-12-21 को सुबह 10  
बजे उपस्थित हों ऐसा करने में त्रुटि न हो।

26/11/21

Checked  
by me

आज दिनांक 30/11/21 को दिनांकित

25/11/21



न्यायालय की मुहर  
अपर जिला मजिस्ट्रेट (एच. टी. एच.)  
चौहदवी वित्तीय आयोग के लिए प्रेषित

26/11/21  
26/11/21

26/11/21

69  
26/11/21

सत्य प्रतिनिधि  
26/11/21

प्रमाणित  
जिला एम. ए. ए. ए. ए.

8/67

1/37



वीर

Copy Recd.

23/12/2021

रिपोर्ट थाना नवाबाद जनापद सांघी

महोदय, निवेदन है कि यह सम्मन ही लागू है।  
युक्त आदमी द्वारा आपल में लाया गया  
सम्मन में अकिंत बन्धित ही रक्षित  
करके बजाए खास लागू किया गया  
व द्वारा बनवाये गये।

रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है।

क. प्रद्युम्न सिंह  
थाना - नवाबाद  
23/12/21 सांघी



माननीया जनपद एवं सत्र न्यायाधीश महोदया,

झाँसी

विषय :- अपर सत्र न्यायाधीश (एफ०टी०सी० द्वितीय) श्री विमल प्रकाश आर्य द्वारा प्रतिशोध की भावना से विधि विरुद्ध पत्रावली तैयार कर अपमानित करने के उद्देश्य से जांच/कार्यवाही करने के सम्बन्ध में :-

महोदया,

विनम्र निवेदन है कि मेरे द्वारा पूर्व में श्री विमल प्रकाश आर्य की शिकायत महोदया से और माननीय उच्च न्यायालय में की थी जिससे रूबट होकर प्रतिशोध की भावना से उनके द्वारा एक पत्रावली तैयार की गयी है जिसका क्रि०मि०न०-428/2021 है जो एस०टी०न०-169/2017 सरकार बनाम अमान आदि से सम्बन्धित पत्रावली में मुझे अभियुक्त के रूप में सम्मन भेजा गया है जबकि प्रार्थी एस०टी०न०-169/2017 में वादी की ओर से अधिवक्ता है और उसमें दिनांक-24.12.2021 की तिथि अंकित थी मुझे यह सम्मन थाना नवावाद की पुलिस द्वारा दिया गया है श्री आर्य योजनाबद्ध तरीके से कोई गम्भीर षड़यंत्र मेरे विरुद्ध कर रहे हैं और मुझे जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। जिसके सम्बन्ध में मेरे द्वारा न्यायालय में द०प्र०सं० की धारा-408 के अन्तर्गत अन्तरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें महोदया, द्वारा दिनांक-24.12.2021 को एक आदेश पारित किया गया था पारित आदेश के क्रम में अपर सत्र न्यायाधीश (एफ०टी०सी० द्वितीय) श्री विमल प्रकाश आर्य द्वारा मेरे विरुद्ध कोई जांच की जा रही है और मुझे तरह तरह से प्रताड़ित कर आत्महत्या करने के लिये विवश कर रहे हैं मैं उस न्यायालय में जाने में पूर्णतः असमर्थ हूँ मुझे यह भी आशंका है कि श्री विमल प्रकाश आर्य मेरे विपक्षियों से मिलकर मेरी हत्या कराना चाहते हैं मेरे द्वारा उनके विरुद्ध कई शिकायतें की गई हैं उन्हें नियमतः मेरे विरुद्ध जांच करने का कोई अधिकार नहीं है यदि मेरे व मेरे परिवार के साथ कोई हादसा होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी श्री विमल प्रकाश आर्य की होगी मुझे यह भी ज्ञात हुआ है कि श्री विमल प्रकाश आर्य द्वारा की जा रही जांच में दिनांक-06.01.2022 तिथि नियत की गई है।

अतः महोदया, से प्रार्थना है कि मेरे विरुद्ध जो भी जांच उनके द्वारा की जा रही हो वह किसी अन्य न्यायिक अधिकारी से कराने की कृपा करें।

दिनांक-05.01.2022

भवदीय

 05/01/22

(चन्द्रशेखर शुक्ला)

**Order**

सी०जे०एम० कोर्ट कम्पाउंड झाँसी

Seen, Call for comments from concerned judicial officer within 07 days.

District Judge,

Jhansi

06-01-2022

1/36

8/66

स्कूल २० पत्रावली

7A

21-12-22

मार्गालय - सरपर सच-आमाछेत्र / PTC 14+4FC झांसी /  
क्रि.सं.सं 429/2021

सरकार वराम च-पुणेकर प्रकला  
0/3

आदेश पत्र

23-12-21 श्री मात जन्पद आमाछेत्र के कार्यालय से  
भोगपत्र कागज सं 2A प्राप्त हुआ। पत्रावली  
आवेलाव जन्पद आमाछेत्र कार्यालय में  
जाये। स्कूल २० पत्रावली नियत तिथि 24-12-21  
को भेजा हो।

*[Signature]*

ADJ/PTC/14+4FC

07/01/22

24-12-21

पुकार पर कोई हार्जिर नहीं  
है। मूल पत्रावली प्राप्त नहीं  
है। समान 40B पत्रावली  
में संलग्न है। पत्रावली  
दिनांक 07-01-22 को  
वाहने सि. 0 भेजा है।

*[Signature]*

26/3/22

ADJ/PTC/14+4FC

11/01/22

07-122

पुकार पर कोई हार्जिर नहीं  
है। मूल पत्रावली प्राप्त  
नहीं है। पत्रावली दिनांक  
11-01-22 को वाहने सि  
भेजा है।

ADJ/PTC/14+4FC

25/3/22

69  
24/3/22

8/70

1/40

215-103

# BAR COUNCIL OF UTTAR PRADESH

19, Maharshi Dayanand Marg,  
Allahabad.

Telephone: 0532-2623501  
Fax: 0532-2420063

Date: 24 Apr, 2006

आदेश  
इससे किताब की न्यायिक  
अधिकारियों के मध्य सुधार  
परिष्कारित है। इस किताब  
अधिकार के सभी अधिकारियों को सदन  
सुचित किया जाय कि यदि वे प्रसन्न किसी  
न्यायालय में न्यायालय में जायजता के रूप में कार्य  
अंगरेज प्रसन्न करें तो सदन अंगरेज करतु।

## NOTIFICATION

प्रभारी निता नज, आरसी।  
2.5.2006

It is notified for general information that Sri Chandra Shekhar Shukla, S/o Sri Kunj Bihari Shukla R/o B-92, Mata Tila Colony, Jhansi, Enrolment No. U.P.5739/89 dated 10.12.1989, has been removed from the roll of the Bar Council of Uttar Pradesh vide order of the Disciplinary Committee of the Bar Council of India in the removal proceeding no. 5/2005 dated 12.02.2006.

Sri Chandra Shekhar Shukla is not entitled to practice in any court of

Law.

Secretary

Copies

1. The Secretary, Bar Council of India, 21, Rouse Avenue, Institutional Area, New Delhi.
2. Secretaries of All State Bar Councils in India.
3. The Registrar Supreme Court of India, New Delhi.
4. The District Judge/District Magistrate, Jhansi.
5. The Registrar of all High Court in India.
6. The District Judge/District Magistrate in the State.
7. The Registrar Board of Revenue, U.P. at Allahabad.
8. The Chief Secretary, U.P. Shasan, Lucknow.
9. The Secretaries of all Bar Association in the State.
10. The Chief Justice of India, Supreme Court of India, New Delhi.
11. Ministry of Law & Justice, Govt. of India, New Delhi.
12. Shri Chandra Shekhar Shukla, S/o Sri Kunj Bihari Shukla, R/o B-92, Mata Tila Colony, Jhansi.
13. President / Secretary, Zila Adhivakta Sangh, Jhansi.

बार काउंसिल ऑफ इन्डिया  
BAR COUNCIL OF INDIA

21, राउस एवेंयू इन्स्टीट्यूशनल आरिया  
नई दिल्ली - 110 007  
21, Rouse Avenue Institutional Area  
New Delhi - 110 007

HCED: 1007/2006

Dated: 14.3.2006

Regd. A.D.

**Re: Removal Proceeding No.5 / 2005  
in the matter of Shri Chandor Shekher Shukla:**

The above Removal Proceeding received from your Bar Council under Section 26(1) of the Advocates Act, 1961 in the matter of Shri Chandor Shekher Shukla was posted for hearing on 12.2.2006 and the proceeding of the matter is given hereunder :

887  
21-5-06  
24/3/06

"This is a reference under Section 26 of the Advocates Act. The case against Shri Chandor Shekher Shukla is that he submitted a false affidavit at the time of enrolment. In the said affidavit, he stated that there was no criminal case pending against him. The matter was brought to the notice of the Bar Council of Uttar Pradesh by a complaint dated 3.0.2002 filed by the President, District Bar Association, Jhansi. The State Bar Council after taking cognizance of the complaint referred the matter to the Disciplinary Committee of the State Bar Council. Despite service of notice upon Shri Shukla by the Disciplinary Committee, Shri Shukla did not appear. As such, the matter proceeded ex parte against him. The Disciplinary Committee after due enquiry came to the conclusion that there are serious allegations against Shri Shukla concerned and therefore the Disciplinary Committee of the Bar Council of Uttar Pradesh referred the matter to this Council.

We have heard Mr. Chandor Shekher Shukla who appears in person. We have also perused the relevant records which have been forwarded to this Council by the aforesaid Committee of the State Bar Council. Our attention has been drawn to a Judgement dated 10.11.1992 passed by the learned Sessions Judge, Jhansi in the Bail application No.1084/1992 titled Chandor Shekher Shukla - vs - State of Uttar Pradesh. In the said order the Learned Sessions Judge has listed as many as 19 criminal cases which were pending on that date. All the aforesaid cases were pending on the date of the order i.e. 10.11.1992. Upon enquiry by this Council the advocate concerned Shri Chandor Shekher Shukla stated that he obtained enrolment as an advocate in the year 1989 and he submitted the affidavit in question to obtain the enrolment as an advocate. In view of the fact that as many as 19 criminal cases were pending against him as on 10.11.1992 i.e. the date of order of the learned Sessions

Judge, Jhansi, the statement made by the petitioner in his affidavit that there was no criminal case pending at the time when he applied for enrolment is absolutely a false statement. We have therefore no hesitation to hold that Shri Chandor Shokhar Shukla deliberately filed a false affidavit for the purpose of securing enrolment as advocate. As Chandor Shokhar Shukla secured enrolment as advocate by deliberate misrepresentation of essential fact and also by committing fraud upon the Enrolment Committee of the State Bar Council of Uttar Pradesh, we, therefore have no hesitation to order removal of the name of Chandor Shokhar Shukla from the rolls of the Bar Council of Uttar Pradesh by cancelling the Sanad granted to him.

The enrolment of Shri Chandor Shokhar Shukla as advocate shall stand cancelled and the sanad which was granted to him may be directed to be returned to the Bar Council of Uttar Pradesh.

The reference is disposed of accordingly."

The file received from the State Bar Council is returned herewith.

Yours faithfully,

  
(S. RADHAKRISHNAN)  
SECRETARY

Encl: as above

To:

1. Shri Chandor Shokhar Shukla

CJM Court Compound  
Jhansi  
Uttar Pradesh

2.

The Secretary,  
Bar Council of Uttar Pradesh  
19, Maharishi Dayanand Marg  
Allahabad

पत्रांक  
क्रमांक

जिला अधिवक्ता महोदय,  
अलीगढ़ ।

विषय : जनपद महोबा व जनपद बलिया के हिस्ट्रीजीयर व्यक्ति एम्प्लोकर गुल्शन द्वारा एलसीएमओ अलीगढ़ को जारी पता देख राज्य व पौनाली बन्दूक का राज्य प्राप्त करने के सम्बन्ध में.

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि जनपद आयातक डीपीई एम्प्लोकर गुल्शन नाम का व्यक्ति पकाला कर रहा है। उक्त व्यक्ति जनपद महोबा का मूल निवासी है व डीपीई में पकाला करता है। उपरोक्त एम्प्लोकर गुल्शन एक आपराधिक व्यक्ति जनपद महोबा व जनपद बलिया का हिस्ट्रीजीयर अपराधी है उसके विरुद्ध महोबा व डीपीई में गुन मिलान नाम 33 सुवर्ण पंजीकृत हुए हैं उक्त एम्प्लोकर गुल्शन एलसीएमओ को आपराधिक गतिविधियों के कारण जिला अधिवक्ता से डीपीई में उसकी सदस्यता समाप्त कर उसके पंजीयन निरस्त किये जाने का प्रस्ताव बार कानूनियल आफ उछण को भेज दिया गया है जिसकी कार्यवाही बार कानूनियल आफ उछण में विचार-धीन है। उक्त व्यक्ति उ अलीगढ़ के कमी भी नहीं रहा है उक्त एम्प्लोकर गुल्शन एक आपराधिक व्यक्ति है। इसी प्रकार इसने एक रिवास्तार का लाहौर ललितपुर का पतादेकर बनाया का। बाद में जिला मजिस्ट्रेट को जब जानकारी करायी गयी तब उसका लाहौर निरस्त किया गया है। उक्त एम्प्लोकर गुल्शन का आपराधिक इतिहास व ललितपुर के जिला मजिस्ट्रेट का लाहौर निरस्त कर उचित संलग्न है।

अतः आपसे प्रार्थना है कि आब उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सम्पौरत। पूर्वक विचार कर आपके यहां से जारी किये गये राज्य लाहौर निरस्त किये जाने को कार्यवाही करने का कष्ट करें। तथा इस कार्यवाही से मेरे कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

सहायक  
जिला अधिवक्ता  
अलीगढ़  
Distt. Bar Association

प्रतिलिपि :

व रिफूठ पुलिस अधीक्षक महोदय अलीगढ़ को उपरोक्त कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख सचिव,  
विधान परिषद,  
उत्तर प्रदेश ।

दिनांक 23 जुलाई, 2004 को पुलिस प्रशासन शांती द्वारा जारी की गयी अपराधियों की सूची के शीर्ष क्रमों में श्री यन्त्र डेवर हुसैन का नाम दिया गया है। श्री हुसैन इससे पूर्व महोबा के हिस्ट्री शीटर अपराधी रहे हैं तथा महोबा में उनकी हिस्ट्री शीट संख्या 33 ए थी। महोबा में उनकी बहूरी हुई अत्यधिक आपराधिक गतिविधियों के चलते उन्हें जिला महोबा से थोड़ा दूर कर दिया गया था। इसके पश्चात ये छठछठ जाती आकर अपराध की दुनिया में लिप्त हो गये तथा शांती में उनकी हिस्ट्री शीट पुन गयी जिसका नम्बर 27 है।

शांती में इन पर लगभग 40 मुकदमे चल रहे हैं जिनमें कोआपरेटिव बैंक के पीछे श्रीमती मीरा गुप्ता के प्रकान पर कब्जा करने का प्रयास करने, अपराधकारों करने हेतु गाड़ी में नीली काली लकड़ा का डूबने, कर्मी पते टैकर रिधान्पर व राजमल के लाइसेंस प्राप्त करने, बिना मानचित्र प्राप्त कराये भवन का निर्माण कराना, अनेक ध्वनी/भूखण्डों पर अनधिकृत रूपसे कब्जा करना तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट शांती के साथ अश्रुता करना आदि सम्मिलित है। इनकी आपराधिक गतिविधियों का ध्वंसा देने हेतु प्रो० रामजी सिंह, सहाय, विधान परिषद ने दिनांक 05 जुलाई, 2004 को प्रमुख सचिव, गृह को पत्र लिख कर श्री यन्त्र डेवर हुसैन द्वारा किये जा रहे तमाम आपराधिक कार्यों की जांच सी०पी०सी०आई०डी० से कराये जाने की मांग की थी जिस पर भी अब तक कोई कार्यवाही न कर तथा अधियुक्त को गिरफ्तार न कर उसको तैरपव दिये जाने का ही प्रयास किया जा रहा है।

अस्तु, लोक महत्व के इस सुनिश्चित प्रान पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुये मैं इस विषय पर सहाय्य दिनाये जाने तथा घटना की जांच सी०पी०सी०आई०डी० से कराये जाने की मांग करते हूँ।

दिनांक : 05 अगस्त, 2004 ✓





विधान परिषद के प्रथम सत्र, 2005 के प्राचीन शुभकार हेतु निर्धारित जी-स्कूलों के विहित,  
पंच सदस्य विधान परिषद द्वारा पूर्ण गये तारांकित प्रश्न संख्या-27 व 29 के उत्तर ।

प्रश्न

27-क्या मुहम्मदिया जमातों के शासन  
द्वारा शासनादेश सं०-म०सी. आर्.डी. /5:-  
पुन-4-2004-7131। 11बी/04 दिनांक  
05 नवम्बर, 2004 के माध्यम से जिला महोबा  
एवं झांसी के जतिपय हिस्ट्री शीटर अपराधियों  
की अपराधिक गतिविधियों की जांच  
सी०बी०पी०आई०डी० को सौंपी गई है ?  
इसके अतिरिक्त, तो उक्त शासनादेश के  
माध्यम से किन-किन अपराधियों की किन  
किन अपराधिक गतिविधियों की जांच  
सी०बी०पी०आई०डी० को सौंपी गई है तथा  
जांच के दर्जन आफ रिफरेंस क्या है ?

इसके अतिरिक्त जांच कब तक पूर्ण कराने का  
तक्य रखा गया है तथा जांच कार्य में अब  
तक क्या प्रगति हुई है ?

क्या जनपद महोबा एवं झांसी के  
नागरिकों की हिस्ट्री शीटर अपराधियों के  
आतंक से मुक्त कराये जाने हेतु जांच कार्य  
एक माह के अन्दर पूर्ण कराकर कार्रवाही  
कराये जाने के आदेश निर्गत करेंगे ?

इसके अतिरिक्त, तो कब तक ?

उत्तर

जी हाँ ।

उक्त शासनादेश के माध्यम से जिला  
महोबा एवं झांसी के हिस्ट्री शीटर  
चन्द्रशेखर शुक्ला द्वारा की जा रही जतिपय  
अपराधिक गतिविधियों की जांच अथवा  
शांखा, आराध अनुसंधान विभाग को सौंप  
गयी थी।

उक्त जांच अथवा शांखा, आराध  
अनुसंधान विभाग द्वारा दिनांक 31.12.04  
को पूर्ण की जा चुकी है।

जांच दिनांक 31.12.04 को पूर्ण हो  
चुकी है, इस संबंध में जांच आदेशों को पार  
करते हुए सुसंगत शासनादेश के अनुसार  
कार्रवाही कराये जाने के आदेश निर्गत  
कर दिये गये हैं ।

उपरोक्त से स्पष्ट है ।

28-11 क्या मुख्यमंत्री जी यह भी बतायेंगे कि सी०बी०सी०आर्ब०डी० के किस स्तर के अधिकारियों द्वारा उक्त जांच की जा रही है ?

क्या पिछले 2 माह में की गई जांच की कोई अतिरिक्त रिपोर्ट शासन को प्राप्त हुई है ?

यदि हां, तो शासन द्वारा उस पर क्या निर्णय लिया गया ?

उक्त जांच सी०बी०सी०आर्ब०डी० के निरीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के निरूद्ध पर्यवेक्षण में सम्पन्नित की गयी है।  
जी हाँ ।

सी०बी०सी०आर्ब०डी० की संतुति को स्वीकार करते हुए संगत शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही करने हेतु उन्हें आदेश निम्न कर दिये गये हैं ।

पुलागप सिंह गाढव  
मुख्यमंत्री ।

8177